संख्या-2023/ 001-3783422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 21 दिसंबर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-1085/बजट/2022-23, दिनांक 11.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए कुल धनराशि रू0 54,02,00,000 (रुपये चौवन करोड़ दो लाख मात्र) को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है, यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-सीए-934/ 10-2004- मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

(3)- जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रक अधिकारी स्वयं अपने स्तर से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं, उन स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित करके उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के शासनादेश संख्या-39/2023/बी-2-755/दस-2023-244/2023, दिनांक 07.12.2023 में निहित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2204001041300 (राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204001041300 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	51,02,00,000 (रुपये इक्यावन करोड़ दो लाख मात्र)
	कुल			**51,02,00,000 (रुपये इक्यावन करोड़ दो लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001042900 (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204001042900 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001043500 (सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204001043500 सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

महायोग	54,02,00,000 (रुपये चौवन करोड़ दो लाख मात्र)

के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2023/001-3783422023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुदान-1/ 2
6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।